रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138] नई दिल्ली, बुधवार, मई 30, 2012/ज्येष्ठ 9, 1934
No. 138] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 30, 2012/JYAISTHA 9, 1934

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2012

फा. सं. पीएनजीआरबी/एम (सी)/11/अंतिम दाखिल प्रशुल्क.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण**

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन अधिनियम, 2012 कहा जाएगा ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **विनियम 6 में संशोधन**

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ विनियमों का निर्धारण) अधिनियम, 2008 के विनियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, नामतः :—

"6. विविध

(1) बोर्ड समय-समय पर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ के निर्धारण से संबंधित दिशानिर्देश बना सकता है ।

(2) यदि इन विनियमों के किसी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा" ।

रतन पी. वातल, सचिव

[विज्ञापन III/4/188/12/असा.]

पाद टिप्पणी : मूल विनियम दिनांक 20 नवम्बर, 2008 के सा.का.नि. 807(अ) द्वारा अधिसूचित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें दिनांक 20 दिसम्बर, 2010 के सा.का.नि. 986(अ) द्वारा संशोधन किया गया था।

IndiaCode

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2012

F. No. **PNGRB/M(C)/11/Final Tariff Filing.**—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Pertoleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Amendment Regulations, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of regulation 6

For regulation 6 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff Regulations) Regulations, 2008, the following shall be substituted, namely :—

"**6. Miscellaneous**

(1) The Board may make guidelines from time to time relating to determination of natural gas pipeline tariff.

(2) If any dispute arises with regards to the interpretation of any of the provisions of these regulations, the decision of the Board shall be final".

RATAN P. WATAL, Secy.

[ADVT. III/4/188/12/Exty.]

Foot Note : Principal Regulations were notified *vide* No. G.S.R. 807(E) dated 20th November, 2008 and subsequently amended *vide* G.S.R. 986(E) dated 20th December, 2010.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.